बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संॅ0सं0–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकॉटा, अररिया द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1017(2) दिनांक–11.09.2020 के द्वारा उनकी नियुक्ति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकॉटा, अररिया के पद पर हुई थी। जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक–15.09.2020 को पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् उच्चतर अध्ययन हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के लिए दिनांक–15.09.2020 को ही विरमित किया गया। डॉ० कुमार का PG कोर्स दिनांक–09.08.2023 को समाप्त हो गया है। जिसके उपरान्त डॉ० कुमार के द्वारा विभाग में योगदान देने का अनुरोध किया गया है।

2. डॉ० अशोक कुमार द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० अशोक कुमार का आवेदन को स्वीकार करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, अररिया को निदेशित किया जाता है कि डॉ० अशोक कुमार को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० अशोक कुमार का योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकॉटा, अररिया के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) 160(9) / पटना, दिनांकः– 25.2.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, अररिया को निदेशित किया जाता है कि डॉ० अशोक कुमार के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकॉटा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/02/2025
सरकार के अवर सचिव।